

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर

प्रार्थना पत्र संख्या - 136 /2021

ग्राम पंचायत तिलोरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत तिलोरा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर

॥ आदेश ॥

दिनांक : 01.12.2021

तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, प्रस्ताव (तहसीलदार), अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की अनापत्ति, अभिशंषा तहसीलदार पुष्कर व राजस्व ग्रुप-6 राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व ग्रुप-6 राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3(17)राज-6/2021पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 में प्रदत्त निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम किशनपुरा ग्राम पंचायत तिलोरा तहसील पुष्कर के अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 456 रकबा 0.98 है0 किस्म बारानी 2 में से मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया गया है। साथ ही तहसीलदार पुष्कर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम किशनपुरा ग्राम पंचायत तिलोरा तहसील पुष्कर के अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 456 रकबा 0.98 है0 किस्म बारानी 2 में से 400 वर्गमीटर कुल किता 01 कुल रकबा 400 वर्गमीटर भूमि (रास्ते की चौड़ाई लगभग 08 मीटर) भूमि को मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शों में दर्ज करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह आदेश आज दिनांक 01.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



01.12.21
सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

